


गवाल

दतिया



38

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-दतिया R 4246-J114

श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार  
भटनागर निवासी - राना दरवाजा कस्बा  
भाण्डेर, जिला - दतिया (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

किशोरी उर्फ बृजकिशोर पुत्र चन्ना काछी  
निवासी गद्दीपुर कस्बा भाण्डेर, जिला -  
दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री चमण्डल खन्नेडी शर्मा  
द्वारा आज दि. 22.12.14 को  
प्रस्तुत

[Signature]  
22-12-14

जज ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर


57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 4246-एक / 14

जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-1-15	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । निगरानी में के साथ संलग्न तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 01/09-10/अ-70 की आदेश पत्रिका दिनांक 28-3-2014 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 12-8-14 का अवलोकन किया गया । आदेश पत्रिका दिनांक 12-8-14 इस आधार पर पारित किया गया है कि दिनांक 29-1-2014 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है जबकि दिनांक 28-3-14 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को उस प्रकरण को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जा चुका था । स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 12-8-14 की आदेश पत्रिका द्वारा आदेश पारित करते समय दिनांक 28-3-14 का अवलोकन नहीं किया गया है अतः इसी स्टेज पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-8-14 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करें ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	